

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर
बड़जलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या- 122/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
मोहम्मद हारून पुत्र मोहम्मद सदीक जाति तेली मुसलमान निवासी कालू खां की बाडी, नागौर तहसील व जिला नागौर		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति -1. श्री गोपाल गोदारा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 23-11-2017

[1]-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 52/2016 सरकार बनाम हारून में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.08.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.08.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

अपीलान्ट ने अपने अपील के समर्थन में तहसीलदार, नागौर का निर्णय दिनांक 11.07.16 की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](I)- अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील गलत, विधि विरुद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया होने से निरस्तनीय है।

[2](II)- अधीनस्थ न्यायालय ने जिस तरह के तथ्य पत्रावली पर आये उस बाबत किसी प्रकार की जांच किये बिना ही व स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, विस्तृत रूप से साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना सरसरी तौर पर जल्दबाजी में निर्णय जैर अपील पारित किया है जो विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जल्दबाजी में पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](III)- अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत जायगा बाबत संपूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब पेश कर दिया व जवाब में वर्णित तथ्यों अनुसार साक्ष्य सबूत व दस्तावेज पेश करने व समुचित सुनवाई का समय प्रदान करने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि प्रकरण में छदम रूप से बिना राजस्व कार्मिकों के समुचित सामंजस्य के सरसरी तौर पर कार्यवाही अपीलान्ट के विरुद्ध की गई है। इसलिये पटवारी से जिरह व दस्तावेज पेश करने का अवसर दिये बिना निर्णय जैर अपील पारित करने से अपीलान्ट के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। सुनवाई से वंचित रहा है। जिससे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](IV)- अपीलान्ट के विरुद्ध उक्त अतिक्रमण की कार्यवाही सरासर गलत रूप से की गई थी, अपीलान्ट ने किसी प्रकार से सरकारी भूमि खसरा नं. 582 पर अतिक्रमण नहीं किया है। बल्कि उक्त जायगा पूर्व में कालू खां के स्वामित्व की जायगा रही है व उसके पश्चात उसके वारिसान की जायगा रही। जो किसी प्रकार से सरकारी भूमि नहीं रही है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में सारी स्थिति स्पष्ट कर देने के बावजूद किसी प्रकार की कोई जांच किये बिना ही अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है।



अपर कलक्टर, नागौर

[2](V)– उक्त जायगा नागौर की आबादी के मध्य में स्थित है। इसलिये तहसीलदार को उक्त भूमि बाबत धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का किसी प्रकार का अधिकार ही नहीं था, तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सारी कार्यवाही व निर्णय पारित किया है। जिससे भी निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](VI)– अपीलांट का उक्त जगह पर 25 गुणा 50 फुट व 100 गुणा 80 फुट में रहवास हेतु मकान व अपनी आजीविका चलाने हेतु जगह वर्षों पूर्व की बनी हुई है तथा चारों ओर पक्की चारदीवारी भी निकाली हुई है। जो सन् 2000 से पूर्व से कई वर्षों का खरीद, कब्जासुद व स्वामित्व का है जिसका एकमात्र उपयोग उपभोग, आधिपत्य अपीलांट द्वारा ही किया जाता रहा है। पटवारी हल्का ने गुमराह करके गलत रिपोर्ट पेश कर तथ्यों को छुपा कर संवत् 2072 में नया अतिक्रमण बताया है। जबकि मौके पर अपीलांट का वर्ष 2000 से पूर्व से कब्जा पुख्ता तौर पर निर्बाध व बेरोकटोक निरन्तर रहता चला आया है। उक्त जायगा के संबंध में पूर्व में भी तहसीलदार द्वारा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर बेदखली व जुर्माना आदि का आदेश कई व्यक्तियों के विरुद्ध पारित किये, जिसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपीले स्वीकार कर तहसीलदार के आदेश को अपास्त किया था व माननीय सिविल न्यायालय द्वारा भी इब्राहीम खां द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद में भी उक्त भूमि के संबंध में कार्यवाही करने व जुर्माना एवं बेदखली बाबत तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं होना मानते हुए जुर्माना आदि करने का अधिकार होना नहीं माना था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार को उक्त जायगा के संबंध में कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए भी निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है।

[2](VII)– उक्त जायगा के संबंध में पूर्व में कई बार सक्षम सिविल व राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन रहे जिससे भी उक्त जायगा के खातेदारान के स्वामित्व की होना माना गया है। उसके आधार पर ही खातेदारान स्वामियों द्वारा भूमि का बेचान किया गया। जिस पर खरीददार काबिज है। जो बतौर मालिक काबिज है। किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया है। जिससे भी निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](VIII)– उक्त जायगा के संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष रिट याचिकायें विचाराधीन है, उक्त रिट सं. 3854/200 इब्राहीम खां वगैरा बनाम सरकार एवं रिट सं. 148/2001 सुखराम बनाम सरकार में पारित स्थगन आदेश सन् 2001 में दिनांक 4.5.01 से ही पारित है और यथार्थि के आदेश है। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त खसरा पर काबिज लोगो के संबंध में अतिक्रमण आदि की अन्य कोई कार्यवाहियां संस्थित की ही नहीं जा सकती, ड्रॉप किये जाने योग्य थी व है, तहसीलदार की उपरोक्त कार्यवाही माननीय राज. उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आती है तथा साथ ही उक्त जायगा सरकारी खाते में दर्ज करने के आदेश की पालना भी स्थगित रखी गई है। इसलिये उक्त जायगा किसी प्रकार से सरकारी भूमि नहीं मानी जा सकती न ही उक्त जायगा के संबंध में कार्यवाही करने का तहसीलदार को अधिकार ही था। इसके बावजूद निर्णय जैर अपील क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

[2](IX)– तहसीलदार द्वारा प्रेषित किया गया नोटिस साईक्लो स्टाइल नोटिस था। जो पटवारी हल्का द्वारा गलत, झूठे व वेग अभिवचनों पर आधारित था। उक्त नोटिस में अपीलांट द्वारा किस स्थान पर, किस दिशा में, किस नाप से यानि कौन सी भुजा पर कितने नाप से अतिक्रमण किया है, उसका कोई पुख्ता इन्द्राज तक नहीं था, केवल परफोरमा को भर कर औपचारिकता पूर्ण की गई है तथा अपीलांट को वैमनस्यपूर्ण भावना से अभिप्रेत होकर पटवारी ने कार्यवाही करवायी, जिस ओर कोई ध्यान दिये बिना व जवाब के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

[2](X)– पटवारी ने उक्त कार्यवाही बिना किसी आधार व साक्ष्य के दर्ज करवायी है। जबकि मौके पर किसी जगह का नाप चोप नहीं किया व किसी भी व्यक्ति का निर्माण आदि सही रूप से नहीं दर्शाया और निर्माण कितने वर्ष पुराना है, उन तथ्यों की भी कोई जांच अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं करवायी तथा हस्तगत प्रकरण व अन्य प्रकरणों में की गई कार्यवाही के समय पटवारी हल्का द्वारा किसी भी तरह के राजस्व रेकर्ड नये, पुराने आदि का न तो अवलोकन किया गया, न हवाला दिया न अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट विवेचन किया न प्रतिलिपियां पेश की न माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों बाबत कोई




अपर कलेक्टर, नागौर

अंकन किया, जबकि उक्त तमाम आदेशों की जानकारी संबंधित पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों को शुरू से ही रहती चली आई है। इसके विपरीत केवल मात्र राजनैतिक दबाव व वैमनस्यता तथा खानापूति के लिये उक्त विधि विरुद्ध कार्यवाही अपीलान्ट के विरुद्ध की गई है। जिसके संबंध में खुलासा जवाब पेश कर वस्तु स्थिति से तहसीलदार को अवगत करवाने के बावजूद इस संबंध में कोई जांच किये बिना, सरसरी तौर पर जल्दबाजी में निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। जिससे निर्णय जैर अपील हस्तक्षेप योग्य है।

[2](XI)-अपीलांट का रहवास, आवास की यह एक मात्र जगह है। जिससे अपीलांट को बेदखल किये जाने की स्थिति में अपीलांट व उसका परिवार बेघर हो जायेगा तथा उसे अपूर्ण क्षति होगी, जिसकी पूर्ति मुद्रा में नहीं की जा सकेगी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, मौके की स्थिति नगरपालिका आबादी क्षेत्र में स्थित होने व उक्त भूमि किसी भी तरह से नियमन, आवंटन, हस्तान्तरण के अयोग्य न होने से भी व अपीलांट का वर्षों पुराना कब्जा होने, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों में वर्ष 2000 से पूर्व के काबिज व्यक्तियों को वैध करने वगैरा तमाम तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में साबित होते हुए भी निर्णय जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

[3]- राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा नागौर में स्थित राजकीय बारानी भूमि पर अतिक्रमण कर रहवासी मकान, गैरेज व पत्थर डाल कर लिए जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकिन बारानी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिए।

[4]- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर किस्म भूमि गै.मु. बारानी के खसरा नंबर 582 रकबा 101x80 वर्गफुट पर रहवासी मकान व गैरेज बना लिये जाने व 25x50 वर्गफुट पर पत्थर डाला जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। जिस पर अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय का उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। उसको पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाना रिकार्ड से पाया जाता है। जहां तक अपीलांट का यह कथन है कि उक्त भूमि के स्वामित्व को लेकर याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, के तथ्यों को रेस्पोजेन्ट द्वारा भी स्वीकार भी किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलांट की भौतिक रूप से बेदखली भी स्थगित रखी हुई है। जहां प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है, वहां इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने पर तदनुसार कार्यवाही/पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय स्वतः ही उत्तरदायी है। वर्तमान स्थिति में आदेश जैर अपील में कोई विधिक त्रुटि रही हो, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है तथा उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकिन राजकीय भूमि है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है। भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की वर्तमान स्थिति एवं उसमें पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए ही समुचित कार्यवाही की जावे।

[6]- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
अपर कलेक्टर,
नागौर